संख्या-2-2024-डीएफए-680829-38-7099-99-6-2024

प्रेषक,

सुखलाल भारती,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊः दिनांकः 26 फरवरी, 2024

विषयः महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित Programme for Action through Internship in Bharat (PRATIBHA) पोर्टल के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

कृपया ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धशा पत्र संख्या-के-14016/01/2021-22-पीसी(पार्ट)(ई-381964), दिनांक 27-07-2023(प्रति संलग्नक सहित) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा Programme for Action through Internship in Bharat (PRATIBHA) पोर्टल के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसका उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के फ्लैगशिप

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यक्रमों के परिणामों को बढ़ाना है। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्धारित योग्यता रखने वाले 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं को ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय से जुड़े सभी कार्यक्रमों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, जिससे उनके कौशल में उन्नयन किया जा सके।

2- उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि आगामी 02 माह में प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 02 इंटर्न्स रखा जाना उपयोगी होगा। इंटर्न्स को राज्य द्वारा जिला/ब्लाक/उत्पादक उद्यम/क्लस्टर स्तर पर/ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्रामीण विकास मंत्रालय की किसी योजना में तैनात किया जायेगा एवं जिला स्तर पर इन्टर्नशिप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी, जिलाधिकारी होंगे।

3- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महात्मा गांधी रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा विकसित Programme for Action through Internship in Bharat (PRATIBHA) पोर्टल के क्रियान्वयन के संबंध में आगामी 02 माह में प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में 02 इंटर्न्स रखे जाने के संबंध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें-

1. इंटर्न्स का चयन भारत सरकार द्वारा Programme for Action through Internship in Bharat (PRATIBHA) के निर्गत ब्रोशर में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
2. इंटर्न्स को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित किसी योजना से सम्बद्ध/चयन किया जायेगा।
3. इंटर्न्स को किसी भी प्रकार की धनराशि नहीं दी जायेगी।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

सुखलाल भारती
सचिव।

http://bhasa

संख्या-2-2024-डीएफए-680829-38-7099-99-6-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, व्यवसायिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, एस0आई0आर0डी0, लखनऊ।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
6. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उपायुक्त(श्रम-रोजगार)/प्रभारी उपायुक्त(श्रम रोजगार), उत्तर प्रदेश।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुखलाल भारती
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in